625वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मार्च 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 625वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8690/2021 Shri Rampratap Singh Bundela S/o Shri Sobran Singh Bundela, Jagatnagar, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh, MP - 472101 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 40), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh , Dist. Tikamgarh (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 40), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh , Dist. Tikamgarh (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान के आक्षांश-देशांश अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आक्षांश-देशांश के अनुरूप नही है तथा दोनो में अंतर लगभग 135 मीटर का आ रहा है जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र के लोकेशन बदल रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो आक्षांश-देशांश प्रस्तुतीकरण में दिये गये है वे डी.जी.पी.एस. करा के लिये गये है अतः उन्हे मान्य किया जाये । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो आक्षांश-देशांश डी.जी.पी.एस. करा के लिये गये है वे सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें समस्त

अंक्षाश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है । अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश–देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नही उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

2. **Case No 8694/2021 Smt. Paras Daga W/o SHri Vijay Daga, H.No. 26, Marwadi Road, Infront of Bank of India, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 239 Part), Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur , Dist. Bhopal (MP) . Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 239 Part),Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 तथा 536वीं बैठक दिनांक 17/12/21 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी दिशा में 80 मीटर पर 02 शेड / मकान, दक्षिण–पूर्वी दिशा में 560 मीटर पर आबदी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि शेड आस–पास स्थित खदानो का साईट आफिस है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के चारो ओर से कच्चा रोड़ बना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह आस–पास स्थित खदानों का हालेज रोड़ है तथा हमारे द्वारा हालेज रोड़ से 10 मीटर का सेटबैक (7.5 मीटर के बैरियर जोन को शामिल करते हुए छोडा गया है) । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित खनन् क्षेत्र में पिट है, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है, जिसको हमने अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप पर दिखाया है तथा हमको यह खदान इसी स्थिति में 2018 में स्वीकृत हुई है हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित खनन् क्षेत्र में एक क्रेशर एवं शेड स्थापित हैं जिसमें संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराने खदान मालिक का क्रशर व शेड है, जिसका उपयोग हमारे द्वारा किया जायेगा / नहीं किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की

जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा गॉव के रोड़ की मरम्मत, वृक्षारोपण, गॉव में पीने की पानी की व्यवस्था, पशुओं का टीकारण एवं स्वास्थ्य जॉच इत्यादि प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान् के विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न.40 के सरल क्रमांक 158 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 15,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रु. में)
ग्राम मालीखेड़ी में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना एवं शौचालय ।	60,000/–
ग्राम मालीखेड़ी के समस्त ग्रामीण और बच्चो के लियें साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर के जांच के लिए रक्तचाप, मधुमेह एवं मुख स्वच्छता का आयोजन	40,000/–
पशु चिकित्सालय के माध्यम से ग्राम मालीखेड़ीं में पशुओं का टीकाकरण	10,000/–
योग	1,10,000–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	बबूल, नीम, पीपल, सीताफल, चिरौल, खमेर, अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	बबूल, नीम, पीपल, जामुन, आम , सप्तपर्णी उपलब्ध देशी प्रजातियां।	120
3	ग्राम नीलबड़ के शासकीय विद्यालय में	नीम, पीपल, कदम्ब, कंरज, पुत्रांजीवा अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	30
4	मलिखेड़ी और बरखेड़ानाथू ग्रामवासीयो में वितरण हेतु	आम, आंवला, कटहल, जामुन, नीम, पीपल, अमरूद, पपीता, नींबूहर्रा, बहेड़ा और देशी प्रजातियां।	3900
		कुल	4850

3. **Case No 9185/2022 M/s Maihar Traders, Bunglow No. 30, Phase-02, Shree Golden City Jatkhedi, Hoshangabad Road, Huzur, Dist. Bhopal, MP - 462026, Prior Environment Clearance for Limestone and Reject Stone Mine in an area of 26.224 ha. (3.0 Lac Tonne per annum) (Khasra No. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant – Uplinka**

This is case of Limestone, Dolomite and Reject Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 26.224 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 575वीं दिनांक 30/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रताप सिंह बुंदेला के पार्टनर श्री शांतनु सिंह और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स अपलिंका साल्यूशन एवं टेक्नोलॉजी प्रा.लि. नोयडा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 15 पेड लगे है जिसमें से 05 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 50 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे । इसी प्रकार खदान के पूर्वी क्षेत्र में नहर के समान कोई संरचना दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र से एक निर्माणाधीन नहर निकल रही है जिस कारण नियमानुसार नहर से 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है (THE METALLIFEROUS MINES REGULATIONS, 1961) इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र उत्तर–पश्चिम दिशा मे एच.टी. लाईन निकल रही है जिस कारण नियमानुसार एच.टी. लाईन से 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है (Mineral Concession Rule, 2016 for major Minerals)। समिति ने सुझाव दिया कि जो नॉन माईनिंग क्षेत्र एच.टी. लाईन के कारण छोडा गया है उसमें कम ऊचाई की प्रजातियों के पेड लगाये जाये । खदान में एक गड्ढ़ा दिखा रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यहॉ पूर्व में अवैध खनन् किया गया है, जिस संबंध में खनिज अधिकारी ने भी लिखित में जानकारी दी है जो प्रस्तुतीकरण में संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित माइन प्लॉन लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन की

मात्रा 3,00,000 टन प्रतिवर्ष हैं । **परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि आवंटित क्षेत्र में खसरा कमांक 207 कुल रकबा 0.47 हे. भूमि आदिवासी श्री उमेश कौल की है जो उनके द्वारा खनन् हेतु ली गई है तथा Partnership Deed प्रस्तुतीकरण में संलग्न है । इसी प्रकार खसरा कमांक 204/1 कुल रकबा 0.209 हे. भूमि आदिवासी श्री द्वारका कौल एवं अन्यं की है जिस पर नहर होने के कारण सेटबेक प्रस्तावित किया गया है तथा वहां खनन् नही किया जायेगा । अतः समिति कि अनुशंसा है कि भू-प्रवेश देने के पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि भूस्वामी को उचित मुआवजा / लाभ का अंश प्राप्त हो ।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान उनके द्वारा यह वचन दिया गया है कि गांव की आबादी से 200 मीटर तक ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी तथा परिवहन मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गॉव के लोगो द्वारा रोड़ का रख-रखाव, शिक्षा हेतु सहयोग, पानी का छिड़काव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट - 3,00,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.00 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 05.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 12.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. No	Activities	Area of implementation	1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
1	**Education Improvement** - Aid to Bathia middle school for Computer, Printer, Microscope, (Fold scope), Sports Kit etc- Need based through Principal	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village Bathiya and Chapna	60000	50000	50000	160000
2	Community Health Improvement Programme- medical camp in nearby villages once in a year	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village, Bathiya	20000	20000	20000	60000

3	Water & Sanitation Improvement Awareness Programme (WATSAN) (training @ Rs 5000/-	Toilet in Village Bathiya and Chapna	10000	50000	50000	200000
4	Infrastructure Creation (One Pond and Repairing of roads from Mine site to Bathiya (Length-1500 m and Width 3 m)	Hemant Nagar (Chapna Tola) Village , Bathiya and Chapna	100000	75000	75000	250000
5	Plantation at Shri Sharda Mata Mandir (2000 Plants to be planted)	Village: Maihar	150000	50000	50000	250000
6	Plantation under Amran Ganga Scheme (4000 plants to be provided to Nagar Palika)	Nagod	200000	50000	50000	300000
Total			540000	295000	295000	1220000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 16,200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plantation Area	Species to be planted	No of Trees
Barrier Zone (along the boundary 2080 m X 5.5 m)	Siras Kala, Siras Safed, Karanjand other local species	1500
Under High Tension Line (Area-1.5 ha)	Karanj, Amaltas, Chirol, Amla and other local species	1500
Along with proposed Canal (Area - 2.0 ha)	Jamun, Chirol, Neem, Aam, Karanj and other local species	2000
Backfilled area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj , Peepal, Chirol, Aam, Neem and other local species	3700
Transport Route (Min. 01 meter high)	Chirol, Neem, Aam, Arjun, Sisoo, Peepal, Lasoda and other local species	1500
Sharda Mata Mandir, Maihar	Bel, Neem and Aonla	2000
Amran Ganga Scheme Nagod	Local Sapling will be given to municipal corporation	4000
	Total	16200

4. <u>Case No 8726/2021 Shri Sandeep Sood S/o Late Shri Satyapal Sood, H.No. 37, Rohit Nagar, Phase-I, Bawadiya Kalan, Dist. Bhopal, MP - 462026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (3040 cum per annum) (Khasra No. 267, 270), Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida, UP .</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 267, 270), Village - Malikhedi, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 538वीं दिनांक 06/01/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप सूद (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 24 दिनांक 02/01/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खदान अद्यतन की जावेगी चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोड़ का रख–रखाव, वृक्षारोपण, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा ।

प्रस्तुतीकरण में पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक क्रेशर लगा हुआ है, उत्तरी दिशा से खनन् क्षेत्र से लगी हुई कच्चा रास्ता निकल रहा है तथा खनन् क्षेत्र के अधिकांश भाग में पानी भरा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्रेशर को स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र में अन्य स्थान पर स्थापित किया जायेगा किंतु प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नही कर सके जिससे यह स्पष्ट हो पाये कि किस स्थान पर नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में उत्पादन क्षमता 3040 घनमीटर प्रतिवर्ष ही है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि चूकि आवंटित खनन् क्षेत्र सिर्फ 01 हे. का है तथा पूर्व से खुदा हुआ है अतः नियमानुसार वे खनन् क्षेत्र के पास स्थित रोड़ के

कारण प्रतिबंधित दूरी छोडते हुए पुनरीक्षित उत्पादन मेप प्रस्तुत करे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित क्षेत्र के किस भाग में कितनी गहराई तक खनन् किया जाना संभव है तथा क्रेशर की स्थापना कहां की जायेगी।

5. **Case No 9560/2022 Shri Pradeep Vishwakarma, Lessee, Village-Jharkheda, Tehsil-Sehore, District-Sehore (MP)-466661 Prior Environment Clearance for Jharkheda Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (5010 cum per annum) (Khasra No. 697/3/1), Village-Jharkheda, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 697/3/1), Village-Jharkheda, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप विश्वकर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव एवं श्री रामविशाल शुक्ला मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2263 दिनांक 21/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में पक्का रोड 200 मी. पर एवं उत्तर दिशा में 28 मी. की दूरी पर कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में 22 मीटर का सेट बेक छोडा गया है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में रोड़ के पास से कच्चा रोड़ निकल रहा है जिस कारण भी प्रस्तुतीकरण में 50 मीटर का सेट बेक छोडा गया है । गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह ग्राम पंचायत द्वारा खोदा गया है जिसके संदर्भ में ग्राम पंचायत से प्रमाणपत्र दिनांक 25/5/22 प्राप्त किया गया है जिसमें यह उल्लेखित है कि ग्राम पंचायत द्वारा उसी गांव की सडक निर्माण हेतु मुरूम निकाली गई है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह आवंटित खनन् क्षेत्र में 17 पेड़ लगे है जिसमें से 03 पेड़ काटे जायेगे तथा उसके बदले में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे अन्य बैरियर जोन होने के कारण नही काटे जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–72 के सरल क्रमांक–28 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अक्षांश–देशांश नही दिये जाने के कारण अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर परीक्षण किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 5010 मी^{3} प्रति वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.08 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय हाई स्कूल झरखेड.ा मे एक कम्प्यूटर, कुर्सी टेबल के साथ और 2 माइक्रोस्कोप	50,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1330
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ ।	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
		योग	2430

6. <u>Case No 9565/2022 Shri Akhilesh Shekhawat, Lessee, Kandli Agrawal Nagar, Salewad, District-Amrawati (MP)-444805 Prior Environment Clearance for Nimbhora Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (20001 cum per annum) (Khasra No. 63/2 Private Land), Village-Nimbhora, Tehsil-Bhaisdehi, District-Betul (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 63/2), Village-Nimbhora, Tehsil-Bhaisdehi, District-Betul (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अखिलेश शेखावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव एवं श्री रामविशाल शुक्ला मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 01/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है एवं पूर्व की 01 खदान

स्वीकृत रही, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है । इस प्रकार कुल रकबा 3.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 360 मीटर पर नदी एवं उत्तर दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मार्ग उनके खनन् क्षेत्र का पहुँच मार्ग है तथा नदी के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह आवंटित खनन् क्षेत्र में 05 पेड़ लगे है जिसमें से 04 पेड़ काटे जायेगे तथा उसके बदले में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे तथा 01 पेड़ बैरियर जोन होने के कारण काटा नही जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि पर स्थित है जिसका भूमिस्वामी जनजाति समुदाय का है अतः समिति कि अनुशंसा है कि भू–प्रवेश देने के पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि भूस्वामी को उचित मुआवजा / लाभ का अंश प्राप्त हो । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1582 दिनांक 21/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–39 से 40 पर चेप्टर क्रमांक–13 के अनुक्रमांक–11 में त्रुटिवश रकबा एवं को–आर्डिनेट में सुधार कर लिया गया है, जिसे आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । चूकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 20,001 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.55 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल में फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	50,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2440 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1340

2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	900
		योग	2440

7. <u>Case No 9564/2022 Shri Akshay Tuteja, Owner, 32, Lavkush Nagar, District-Khandwa (MP)-450001 Prior Environment Clearance for Siwariya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 370 Govt.), Village-Siwariya, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 370), Village-Siwariya, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अक्षय टुटेजा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में ग्राम शिवरिया तहसील पुनासा जिला खण्डवा की शासकीय भूमि खसरा नं. 370 पर रकबा 1.20 हे. पर खनिज पत्थरा गिट्टी उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा मे 950 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 400 मीटर पर इंदिरा सागर डेम, उत्तर दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 19/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जो भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, इस उत्खनिपट्टा को सम्मिलित किया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

आवंटित खनन् क्षेत्र में गूगल इमेज अनुसार अक्टूबर, 2021 से जनवरी, 22 के मध्य खनन् गतिविधि होती दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान उनके नाम से 01/6/17 से 05 वर्ष के लिये स्वीकृत हुई थी

जिसको डिया के पत्र क्रमांक 85 दिनांक 25/04/17 से स्टोन – 20,365 घनमीटर प्रतिवर्ष ईसी प्राप्त थी तथा खनन् अधिकारी द्वारा लीज की वैधता खत्म होने के कारण पुनः ईसी प्राप्त करने के निर्देश नये स्वीकृति आदेश (पत्र क्रमांक 928 दिनांक 10/11/22) में दिये है अतः उनके द्वारा नवीन आवेदन स्टोन – 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है । समिति ने पाया कि गूगल इमेज अनुसार खदान में एवं आस–पास पर्यावरण सरंक्षण हेतु कोई कार्य किया जाना दृष्टिगत नही हो रहा है और ना ही परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत कर सके । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे डिया से प्राप्त ईसी की शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रमाणिक दस्तावेजो/फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करे ।

8. Case No 9567/2022 Shri Sachin Mewada, Owner, R/o Village & Post-Khajuri Sadak, District-Bhopal (MP)-462022 Prior Environment Clearance for Mugaliya Chhap Murrum Quarry in an area of 1.623 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 544/2 Govt. Land), Village-Mugaliya Chaap, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 544/2), Village-Mugaliya Chaap, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) 1.623 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन मेवाडा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 220 दिनांक 30/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परिवेश पोर्टल पर पार्ट–ए एवं पार्ट–बी Form-1 (Part-A): & (Part-B): Project Information for Scoping (for Category - A/B1) / Appraisal (for Category - B2) सरल नं.–10 एनक्लोजर पर No data found उल्लेखित है। अतः दस्तावेजों का परीक्षण संभव नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान भी पाया गया कि इस प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन अपलोडिड कई दस्तावेज (जैसे एकल प्रमाण–पत्र, पी.एफ.आर., अनुमोदित खनन् योजना इत्यादि) नही खुल रहे है, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को ए.डी.एस. जारी किया जाये ताकि वे सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सके ।

9. Case No 9568/2023 Shri Ranveer Singh Bais, Owner, R/o Berchhadatar, Kalapipal, Tehsil-Kalapipal, District-Shajapur (MP)-465337 Prior Environment Clearance for Dorabad Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (6000 cum per annum) (Khasra No. 598 Govt. Land), Village-Dorabad, Tehsil-Kalapipal, District-Shajapur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 598), Village-Dorabad, Tehsil-Kalapipal, District-

Shajapur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रणबीर सिंह बैस (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 27/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर स्थित है जिसके पश्चिम दिशा में 125 मी. पर एवं उत्तर–पूर्व दिशा में 170 मी. की दूरी पर पक्का रोड़ स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में दोनो रोडों के कारण रोड़ से 200–200 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र छोडा गया है तथा खनन् हेतु लगभग 01.24 हे. क्षेत्र उपलब्ध है जो स्वीकृत क्षमता स्टोन – 6,000 मी^{3} प्रति वर्ष हेतु पर्याप्त है । इसी प्रकार खदान् के उत्तरी दिशा में 100 मीटर पर जल भराव का क्षेत्र है जिसके सरंक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पश्चिम भाग में कोई सिविल स्ट्रेक्चर या शेड दिख रहे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना मुर्गी पालन केंद्र है जो वर्तमान में उपयोग में नही है तथा इसके मालिक श्री शंकर लाल जी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है जो ऑनलाईन अपलोडिड है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में कार्य न होने के कारण वहां से ग्रामीण लोगो के निकलने के कारण रोड दिख रहा है वस्तुतः यह मेड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–57 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 6,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम डोराबाद स्थित आंगनवाड़ी मे पीपी द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे ;– 1). एक वर्ष तक ''पोषण आहार'' का वितरण	80,000
2). खिलोने का वितरण	20,000

योग	1,20,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
		योग	2400

10. <u>Case No 9558/2022 Shri Sunil Jain, Firozpur Jairka District-Mewat (Haryana)-122104 Prior Environment Clearance for Bajana Stone Quarry (Temporary Permit) in an area of 1.00 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 171/2/2 Private Land), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 171/2/2), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पूर्व दिशा में 500 मीटर की अधिक दूरी पर नहर तथा पश्चिम दिशा में 415 मीटर पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण अस्थाई अनुज्ञा का है, जो निजी भूमि पर आवंटित है तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया

कि यह आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके बदले में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 के द्वारा सूचित किया है कि इस खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जायेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कम्पयूटर एवं एक माइक्रोस्कोप दिया जाएगा।	75,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	**300**
2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूतम) (मीटर 1 ऊंचाई	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
		कुल	1200

11. Case No 9571/2023 M/s Bansal Pathways (Betul-Chicholi) Private Ltd., Director, Shri Sunil Bansal, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Aktikheda Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 2.8950 ha. (1,98,800 cum per annum) (Khasra No. 212 Govt. Land), Village-Aktikheda, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 212), Village-Aktikheda, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP) 2.8950 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 27/10/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर 02 भागों में आवंटित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान एक ही भाग में आवंटित है जो खसरा मेप से स्पष्ट है । चूंकि जिस स्थान से दोनो भाग आपस में जुड़े है उसमें माइनेबल एरिया न होने के कारण उसे अनुमोदित खनन् योजना के प्रोडक्शन मेप पर नही दिखाया गया है । आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर दिशा में 320 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर कच्चा रोड़ होने के कारण 20 मीटर का सेटबेक प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र में व उसके आस–पास स्वाईल कंजरवेशन का कार्य किया जाना प्रतीत होता है । आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मुरूम का होने के कारण ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है तथा कोई भी पेड़ नही काटा जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1873 दिनांक 26/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल क्रमांक–1 से 7 में आदेश क्रमांक / दिनांक एवं अक्षांक्ष–देशांश त्रुटिवश इंद्राज हो गय है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–41 पर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार अ0 क्रमांक–1 से 8 में संशोधन किया गया है, जिसके सरल क्रमांक–4 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन पुनरीक्षित अक्षांश–देशांस में भी त्रुटि होने के कारण उनके द्वारा पुनः प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल से पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के माध्यम से संशोधित अक्षांक्ष–देशांश प्राप्त किये गये है जो प्रस्तुतीकरण के संलग्न है तथा इन्ही के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया जाये । समिति ने पाया कि प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के में उल्लेखित है कि संशोधित अक्षांक्ष–देशांश को आगामी जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में सम्मिलित किया

जायेगा के संदर्भ में समिति का मत है कि सिया प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल को निर्देशित करे कि वह तत्काल पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट संशोधित अक्षांक्ष–देशांश के साथ प्रस्तुत करे ।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 1,98,800 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
तहसील– चिचोली, जिला– बैतूल, (म.प्र.) के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेक से जरुरत अनुसार राशि व्यय की जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3475 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1.मीटर उचाई के पौधे)	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	475
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम अकतीखेड़ा एवं ग्राम पंचायत . दूधिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
4	ग्राम अकतीखेड़ा एवं ग्राम पंचायत दूधिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
		कुल	3475

12. <u>Case No 9572/2023 M/s Bansal Pathways (Betul-Chicholi) Private Ltd., Director, Shri Sunil Bansal, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Borgaon Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 1.0050 ha. (76,668 cum per annum) (Khasra No. 20/1 Govt. Land), Village-Borgaon, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 20/1), Village-Borgaon, Tehsil-Betul, District-

Betul (MP) 1.0050 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 27/10/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण–पूर्व दिशा में 85 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 110 मीटर पर जल रोकने की सरंचना तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में दिशा में 20 मीटर पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है, उत्तर दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड के कारण 30 मीटर का सेटबेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा मौसमी नाले एवं जल रोकने की सरंचना के सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेंटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है । आवंटित खनन् क्षेत्र में 06 पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1873 दिनांक 26/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल क्रमांक–1 से 7 में आदेश क्रमांक / दिनांक एवं अक्षांक्ष–देशांश त्रुटिवश इंद्राज हो गय है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–41 पर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार अ0 क्रमांक–1 से 8 में संशोधन किया गया है, जिसके सरल क्रमांक–5 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन पुनरीक्षित अक्षांश–देशांस में भी त्रुटि होने के कारण उनके द्वारा पुनः प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल से पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के माध्यम से संशोधित अक्षांक्ष–देशांश प्राप्त किये गये है जो प्रस्तुतीकरण के संलग्न है तथा इन्ही के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया जाये । **समिति ने पाया कि प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के में उल्लेखित है कि संशोधित अक्षांक्ष–देशांश को आगामी जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में सम्मिलित किया जायेगा के संदर्भ में समिति का मत है कि सिया प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल को निर्देशित करे कि वह तत्काल पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट संशोधित अक्षांक्ष–देशांश के साथ प्रस्तुत करे ।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 76,668 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.91 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम बोरगांव के प्राथमिक शाला में पीने के पानी हेतु एक हैंडपंप की व्यवस्था	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1210 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1 मीटर उचाई के पौधे)	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बोरगांव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	510
		कुल	1210

13. <u>Case No 9573/2023 M/s Bansal Pathways (Betul-Chicholi) Private Ltd., Director, Shri Sunil Bansal, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Dudhiya Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 3.640 ha. (2,04,744 cum per annum) (Khasra No. 63 Govt. Land), Village-Dudhiya, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 63), Village-Dudhiya, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP) 3.640 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 27/10/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 75 मीटर पर मौसमी नाला, दक्षिण दिशा में 135 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 490 मीटर पर कच्चा रोड । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है तथा मौसमी नाले एवं जल रोकने की सरंचना के सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेंटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है। आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है बाकि झाडियां है तथा प्रकरण मुरूम का होने के कारण कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र कमांक 1873 दिनांक 26/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल कमांक–1 से 7 में आदेश कमांक / दिनांक एवं अक्षांक्ष–देशांश त्रुटिवश इंद्राज हो गय है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज कमांक–41 पर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार अ0 कमांक–1 से 8 में संशोधन किया गया है, जिसके सरल कमांक–3 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन पुनरीक्षित अक्षांश–देशांस में भी त्रुटि होने के कारण उनके द्वारा पुनः प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल से पत्र कमांक 416 दिनांक 28/02/23 के माध्यम से संशोधित अक्षांक्ष–देशांश प्राप्त किये गये है जो प्रस्तुतीकरण के संलग्न है तथा इन्ही के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया जाये । समिति ने पाया कि प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल के पत्र कमांक 416 दिनांक 28/02/23 के में उल्लेखित है कि संशोधित अक्षांक्ष–देशांश को आगामी जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में सम्मिलित किया जायेगा के संदर्भ में समिति का मत है कि सिया प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल को निर्देशित करे कि वह तत्काल पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट संशोधित अक्षांक्ष–देशांश के साथ प्रस्तुत करे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 2,04,744 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
तहसील– चिचोली, जिला– बैतूल, (म.प्र.) के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेक से जरुरत अनुसार राशि व्यय की जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4370 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल	1500

		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	सप्तपर्णी, अचार, खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत दूधिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
4	ग्राम पंचायत दूधिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में एवं ग्राम पंचायत के निकट धार्मिक स्थल की बाउंड्री के चारों ओर छायादार पौधारोपण	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, महुआ, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	870
		कुल	4370

14. <u>Case No 9574/2023 M/s Bansal Pathways (Betul-Chicholi) Private Ltd., Director, Shri Sunil Bansal, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Sabadhana Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 2.5530 ha. (1,93,908 cum per annum) (Khasra No. 25 Govt. Land), Village-Sabadhana, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 25), Village-Sabadhana, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP) 2.5530 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 26/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 70 मीटर पर पक्का रोड, दक्षिण दिशा में 10 मीटर तथा उत्तर दिशा में 220 मीटर पर कच्चा रोड एवं उत्तर दिशा में 190 मीटर पर 02-04 आवास है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है तथा पश्चिम दिशा में 70 मीटर पर पक्का रोड के कारण 30 मीटर

का सेटबेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुरानी गूगल इमेज अनुसार यह खुदाई फरवरी 2022 के पूर्व की है तथा हमको लीज स्वीकृत 10/10/22 को हुई है अतः हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया तथा हमको लीज इसी स्थिति में मिली है । आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 05 पेड़ लगे है जिन्हे काटा नही जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1873 दिनांक 26/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल क्रमांक–1 से 7 में आदेश क्रमांक / दिनांक एवं अक्षांक्ष–देशांश त्रुटिवश इंद्राज हो गय है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–41 पर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार अ0 क्रमांक–1 से 8 में संशोधन किया गया है, जिसके सरल क्रमांक–1 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन पुनरीक्षित अक्षांश–देशांस में भी त्रुटि होने के कारण उनके द्वारा पुनः प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल से पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के माध्यम से संशोधित अक्षांक्ष–देशांश प्राप्त किये गये है जो प्रस्तुतीकरण के संलग्न है तथा इन्ही के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया जाये । समिति ने पाया कि प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक 416 दिनांक 28/02/23 के में उल्लेखित है कि संशोधित अक्षांक्ष–देशांश को आगामी जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में सम्मिलित किया जायेगा के संदर्भ में समिति का मत है कि सिया प्रभारी खनिज अधिकारी बैतूल को निर्देशित करे कि वह तत्काल पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट संशोधित अक्षांक्ष–देशांश के साथ प्रस्तुत करे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 1,93,908 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.03 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
तहसील– चिचोली, जिला– बैतूल, (म.प्र.) के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेक से जरुरत अनुसार राशि व्यय की जाएगी	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3065 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	950
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, मोलश्री,	350

	(न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम सबाढाना एवं ग्राम पंचायत . चुडिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
4	ग्राम सबाढाना के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत चुडिया के माध्यमिक कन्या शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	265
		कुल	3065

15. <u>Case No 9603/2023 M/s Bansal Pathways (Betul-Chicholi) Private Ltd., Director, Shri Sunil Bansal, 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Toda Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 3.50 ha. (1,60,338 cum per annum) (Khasra No. 213, 173 Govt. Land), Village-Toda, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 213, 173), Village-Toda, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2067 दिनांक 07/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–27 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है किंतु जो अक्षांश–देशांस इस खदान के है वह वह अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है। समिति ने पाया कि चूकि प्रकरण की सही स्थिती ही स्पष्ट नही अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से पुनरीक्षित अक्षांश–देशांस प्राप्त कर प्रकरण के एप्राईजल हेतु प्रस्तुत करे ।

16. <u>Case No 9582/2023 Shri Harish Chouhan, Lease Owner, R/o Chandrashekhar Azad Marg, Ranapur District-Jhabua (MP)-457993, Prior Environment Clearance for Dungra Stone Mine in an area of 2.00 ha. (14,550 cum per annum) (Khasra No. 340, 341, 342 Govt. Land), Village-Dungra, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 340, 341, 342), Village-Dungra, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरीश चौहान और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 165 मीटर पर तथा दक्षिण दिशा में 205 मीटर पर पक्का रोड है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 19/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा संपूर्ण स्वीकृति प्रक्रिया हो होने के उपरांत 10 वर्ष की अवधि के लिए डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 14,550 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.99 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम डुंगरा के प्राथमिक स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर टेबल की व्यवस्था की जाएगी	60,000 / —

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	शीशम, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, करंज, खमेर , एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	650
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, खमेर चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	150
3	डुंगरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	1610
4	शासकीय विद्यायल डुंगरा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
5	चारागाह के विकास हेतु	अंजन, सिंबोपोगोन,एवं अन्य स्थानीय बारहमासी चारा की प्रजातियॉ।	
		कुल	2430

17. <u>Case No 9583/2023 Shri Pankaj Nagar, Lease Owner, R/o Nivasi-Bordikalan, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP)-466115, Prior Environment Clearance for Bordi Kalan Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5001 cum per annum) (Khasra No. 356/3/1 Govt. Land), Village-Bordikalan, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 356/3/1), Village-Bordikalan, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज नागर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन शर्मा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 3236 दिनांक 11/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 3.0 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 290 मी. की दूरी पर पक्का रोड

है, दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, पूर्व दिशा में 20 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में क्रेशर स्थापित है । आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 135 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक की अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । आवंटित खनन् क्षेत्र में जो क्रेशर स्थापित है वह पुराना है तथा उसी का एक शेड खनन् क्षेत्र में स्थापित है जिसका उपयोग हमारे द्वारा हटाया जायेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 15 से 20 पेड़ लगे है जो पुराने परियोजना प्रस्तावक ने लगाये है तथा काटे नही जायेगे चूंकि उत्पादन बहुत कम स्टोन– 5001 मी^{3} प्रति वर्ष है अतः उपरोक्त क्षेत्र में इतना उत्पादन संभव है । आवंटित क्षेत्र के आस–पास कई खदाने परिलक्षित हो रही किंतु खनन् अधिकारी ने सिर्फ एक खदान 500 मीटर में दिखाई है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सब पुरानी खदानें है जिनकी अवधि समाप्त हो गई है तथा वे अब कार्यरत नही है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।**परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–65 के सरल क्रमांक–34 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कोआर्डिनेट नही दिये है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 5001 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक शाला बोरदीकला में 2 बेंच की व्यवस्था	5,000
ग्राम बोरदीकला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु)ग्राम पंचायत बोरदीकला)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बोरदीकला के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
6	ग्राम पंचायत बोरदीकला के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	1000

18. <u>Case No 9584/2023 Shri Mukesh Kumar Bhargava S/o Shri Mahesh Prasad Bhargava, R/o Village-Bhadota, Tehsil-Kolaras, District-Shivpuri (MP)-473770, Prior Environment Clearance for Bedmau Flagstone Quarry - 6500 cum per annum and Boulder - 2786 cum per annum in an area of 2.00 ha (Khasra No. 384), Village-Bedmau, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 384), Village-Bedmau, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश कुमार भार्गव और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1662 दिनांक 06/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 4.0 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 15 मीटर पर मंदिर जैसी संरचना, 100 मीटर पर पानी की टंकी एवं 180 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 30 मीटर पर कच्चा

रोड़ एवं दक्षिण–पूर्व दिशा में 100 मीटर पर 02 फार्म हाऊस है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में मंदिर जैसे चबूतरा होने के परिपेक्ष्य मे 100 मीटर का सेटबेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है तथा लगभग 1.10 हे. क्षेत्र फलेग स्टोन– 6500 मी^{3} प्रति वर्ष एवं बोल्डर – 2786 मी^{3} प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु उपलब्ध होगा जो पर्याप्त है । आवंटित खनन् क्षेत्र में 01 पेड़ लगा है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिसे काटा नही जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फलेग स्टोन खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–38 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कोआर्डिनेट नही दिये है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फलेग स्टोन– 6500 मी^{3} प्रति वर्ष एवं बोल्डर – 2786 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.56 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम बेदमऊ के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 बेड एवं 2 व्हील चेयर्स एवं पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगी उपलब्ध करवाए जायेंगे।	30,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	जंगल जलेबी, नीम, पुत्रंजीवा, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	250
3	प्राथमिक उपचार केंद्र के पास उपलब्ध क्षेत्र	आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री–गार्ड के साथ	70
	ग्राम पंचायत बेदमऊ के पास उपलब्ध क्षेत्र	नीम, बरगद, पीपल, कचनार, सिस्सू, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50

4	ग्रामीणों मे ंपौधो का वितरण	मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1680
		कुल	2400

19. <u>Case No 9581/2023 Shri Aamin Hussain R/o Hussian Garden, Shankarpur, Transport Nagar, District-Gwalior (MP)-474010, Prior Environment Clearance for Chandeli Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (1,00,597 cum per annum) (Khasra No. 131/1 Govt. Land), Village-Chandeli, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 131/1), Village-Chandeli, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमीन हुसैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 17575 दिनांक 06/09/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–03 पर दर्ज है किंतु जो कोआर्डिनेट डी.एस.आर. में दिये है वह अनुमोदित खनन् योजना में नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डी.एस.आर. के कोआर्डिनेट अनुसार कुल रकबा 5.0 हे. आता है तथा माईन प्लॉन के कोआर्डिनेट अनुसार रकबा 4.0 हे. आता है चूंकि कोआर्डिनेट में अंतर है इस कारण यह विसंगति उत्पन्न हो रही है ।

समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो आक्षांश–देशांश अनुमोदित खनन् योजना अनुसार प्रस्तुत किये गये है उनका प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा से किया गया जो आवश्यक है क्योकि वे सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है जिसमें उल्लेखित समस्त अंक्षाश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है । अतः समिति की अनुशंसा है कि यह तथ्य सिया के संज्ञान में लाया जाये कि कई प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश–देशांश सेक एवं सिया द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप नही उनमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये आक्षांश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराने के पश्चात् ही प्रकरण का परीक्षण किया जाना उचित होगा तथा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक उनके द्वारा प्रस्तुत आक्षांश–देशांश का प्रमाणीकरण संबंधित खनिज अधिकारी से कराकर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे एवं यह प्रकरण नीति निर्धारण हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये ।

20. <u>Case No. – 6292/2019 M/s Ramraja Granite, R/o Indira Nagar, Kabrai, Dist. Mahoba, UP – 210424 Prior Environment Clearance for Granite Stone & M-Sand Mine in an area of 4.00 ha., at Khasra No. 1391, Village - Didwara, Tehsil - Lavkush Nagar, Dist. Chhatarpur (MP).</u>

This is case of amendment for Granite Stone and M-sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal.The proposed site at (Khasra No. 1391), Village - Didwara, Tehsil - Lavkush Nagar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires EC for amendment of activity at site.

परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन बावत् फार्म–4 ऑन लाईन प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में दिनांक 19/06/20 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता स्टोन –1,64,228मी.3 प्रति वर्ष के स्थान पर संशोधित उत्पादन क्षमता स्टोन –16,432मी.3 प्रति वर्ष, एम–सेंड –65,691 मी.3 प्रति वर्ष (अनुमोदित खनन् योजना अनुसार) हेतु अनुरोध किया है ।

प्रकरण सेक की पूर्व 611वीं बैठक दिनांक 14/11/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र शिवहरे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन प्रस्तुत शपथ–पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने यह सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1638 दिनांक 13/05/21 के माध्यम से खनिज गिट्टी पत्थर के साथ एम सेंड उत्खनन् हेतु अनुमति जारी की गई है तथा संशोधित खनन् योजना का अनुमोदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक 1886 दिनांक 31/05/21 के माध्यम से किया गया है । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि आवेदक ने निर्धारित प्रपत्र फार्म–4 में कुछ जानकारियॉ अपूर्ण है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पुनरीक्षित फार्म–4 एवं जानकारियॉ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके :–

1. फार्म–4 के सरल क्रमांक–7 (Amendment Sought for) Amendment in Configuration/ Amendments in Clearance condition/ other (specify): पर others- It is case of change in EC Title. There is no change in configuration or capacity उल्लेखित है, जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण दिया जाना चाहिए।
2. फार्म–4 के सरल क्रमांक–9 पर Details of Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण नही दिया गया है अतः इसको शामिल कर पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
3. फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 पर पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन का विवरण (कितना स्टोन एवं कितना एम–सेंड) स्पष्ट नहीं किया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 में आवश्यक संशोधन/क्षमता का उल्लेख करते हुए पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
4. फार्म–4 के सरल क्रमांक–12 में "Have you hired Consultant for preparing document" में No लिखा है जबकि 13 (ई) में पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल का शपथ–पत्र एवं सर्टिफिकेट अपलोड है अतः परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार की जानकारी का स्पष्टीकरण ।
5. अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

6. पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 19/06/20 को जारी हो गई थी, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में 4800 पौधों का वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. में रू. 3.70 लाख के कार्य किये जाने थे, तत्संदर्भ में समिति ने पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यो का व्यौरा दस्तावेजी प्रमाण के साथ परियोजना प्रस्तावक से चाहा क्योकि गूगल इमेंज के अवलोकन से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु की गई कार्यवाही/प्रयास दृष्टिगत नही हो रहे है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा छः माही पालन प्रतिवेदन सिया में प्रस्तुत किया है जो सिया की बेवसाईट पर दर्शित है । समिति ने बेवसाईट का अवलोकन किया एवं पाया कि इस प्रकरण में बेवसाईट पर जानकारी निम्नानुसार दर्शित है “Compliance report for the period of July to Dec. 20 received on 22-12-20. Compliance report for the period of June 21 received on 30-06-21.Compliance report for the period of Dec. 21 received by email on dated 31-12-21. Compliance report for the period of June 22 received by email on dated 01-08-22”, किंतु परियोजना प्रस्तावक ने बेवसाईट पर क्या जानकारी अपलोड की है यह ज्ञात नही हो सका, क्योकि प्रस्तुत जानकारी बेवसाईट पर हाईपरलिंक नही है और न ही परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार उनके द्वारा प्रस्तुत छः माही पालन प्रतिवेदन की प्रति / जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सके । अतः परियोजना प्रस्तावक पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 19/06/20 में निहित शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही का विवरण मय दस्तावेजी प्रमाण एवं फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें । यदि परियोजना प्रस्तावक पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 19/06/20 में निहित शर्तो के पालन हेतु की गई कार्यवाही की समाधानकारक जानकारी प्रस्तुत न कर सके तो सेक की एक सब–कमेटी (श्री जे.पी. शुक्ला एवं श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की शर्तो के पालन हेतु किये गये कार्यो का सत्यापन कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

7. सिया की बेवसाइट पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत छः माही पालन प्रतिवेदन की जानकारी को वर्तमान में हाइपरलिंक नहीं है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया कार्यालय द्वारा सभी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत छः माही पालन प्रतिवेदन को हाइपरलिंक किया जाये, ताकि समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण/प्रस्तुतीकरण के दौरान सिया की बेवसाइट पर उपलब्ध जानकारी का परीक्षण कर, निर्णय लिया जा सके ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपने पत्र दिनांक 13/01/23 के माध्यम से अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को आज समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र शिवहरे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित फार्म–4 में सुधार कर जानकारी प्रस्तुत कर दी है तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का उल्लेख है उसकी प्रति भी ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी है । पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यो का व्यौरा फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के साथ एवं कम्पलाईस रिपोर्ट (वर्ष जून 2022 से दिसम्बर 2022) प्रस्तुत की हैं। समिति ने उपरोक्त प्रवितेदन का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित जानकारियां प्रस्तुत कर दी गई है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन एण्ड एम–सेंड – 1,50,000 घनमीटर / वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में
1	ग्राम दिदवारा के आंगनवाड़ी की पुताई एवं मरम्मत।	20000
2	ग्राम दिदवारा के तालाब का सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण।	1,00000
	कुल	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	नीम , सिस्सू, खमेर, सुबबूल एवं चिरौल, करंज।	1400
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री–गार्ड के साथ।	300
3	दिदवारा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	200
4	दिदवारा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	1600
		कुल योग	3500

21. **Case No. – 6639/2019 M/s Om Granite, House No. 1, Didwara, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur, MP Ammendment in Environment Clearance for Stone and M-Sand Mine in an area of 3.20 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 1881), Village - Mudhara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP).**

This is case of Stone Mining and M-Sand plant. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1881), Village - Mudhara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 3.20 Ha. The project requires amendment in EC.

परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन बावत् फार्म–4 ऑन लाईन प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में जारी दिनांक 19/10/20 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता स्टोन –2,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर संशोधित उत्पादन क्षमता स्टोन व एम सेंड –1,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु अनुरोध किया है ।

सेक द्वारा 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जोशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सोनकर, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन प्रस्तुत शपथ–पत्र में परियोजना प्रस्तावक ने यह सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1640 दिनांक 13/05/21 के माध्यम से खनिज गिट्टी पत्थर के साथ एम सेंड उत्खनन् हेतु अनुमति जारी की गई है तथा संशोधित खनन् योजना का अनुमोदन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर के पत्र क्रमांक 1349 दिनांक 11/04/22 के माध्यम से किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता स्टोन –2,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन, बोल्डर एवं एम सेंड –1,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु संशोधन करने का अनुरोध किया है ।

प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि आवेदक ने निर्धारित प्रपत्र फार्म–4 में कुछ जानकारियॅा गलत भरी है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके :–

1. फार्म–4 के सरल क्रमांक–9 पर Details of Configuration में एम–सेंड/क्रेशर प्लांट का विवरण नही दिया गया है अतः इसको शामिल कर पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
2. फार्म–4 के सरल क्रमांक–7 पर पर्यावरणीय स्वीकृति में आवश्यक संशोधन का विवरण अस्पष्ट एवं विरोधाभाषी है, क्योंकि फार्म–4 के सरल क्रमांक–11 में यह उल्लेखित है कि उत्पादन क्षमता स्टोन –2,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता स्टोन, बोल्डर एवं एम सेंड –1,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष हेतु संशोधन चाहा गया है, जबकि सरल क्रमांक–7 पर "the change in EC title. There is no any change in configuration or capacity" अंकित है, अतः पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
3. फार्म–4 के सरल क्रमांक–12 पर Details of EIA Consultant में पर्यावरणीय सलाहकार को नही लिया जाना बाताया गया है किंतु फार्म–4 के सरल क्रमांक–13–ए के साथ संलग्न दस्तावेज में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल का नाम दिया है अतः इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण तथा पुनरीक्षित फार्म–4 प्रस्तुत करें ।
4. पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 23/5/22 को जारी हो गई थी । तत्पश्चात् पर्यावरणीय संरक्षण एवं सीईआर के तहत् किए गए कार्यो का व्यौरा दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें ।
5. पर्यावरणीय अभिस्वीकृति दिनांक 19/10/20 के संदर्भ में फार्म–4 के सरल क्रमांक–6 Details of Consent to Operate में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सी.टी.ओ. में उल्लेखित क्षमता माईनिंग आफ स्टोन बोल्डर–2,75,000 घनमीटर/वर्ष प्राप्त की है जो फार्म–4 के सरल

क्रमांक–5 Details of Environmental Clearance में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में स्वीकृत उत्पादन क्षमता– स्टोन–2,50,000 घनमीटर/वर्ष से अधिक है, अतः इसका कारण स्पष्ट करें।

सेक द्वारा 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 को जारी किये गये एडीएस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/22 को बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई अतएव इस प्रकरण को समिति के समक्ष आज रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री अनूप गुप्ता और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री सोनकर, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा फर्मा–4 में संशोधित जानकारी अपलोड कर दी गई है तथा उनके द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु खदान के पास स्थित तालाब के आसपास एवं खनन् क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि पूर्व की पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित विशिष्ट शर्त के बिन्दु क्रमांक 8 के परिपालन मे पर्यावरणीय संरक्षण जिसमें मुख्यतः वृक्षारोपण के अंर्तगत लीज क्षेत्र में 3600 पौधे एंव गांव मुधारा मे 3000 पौधे लगाये जाने थे जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर से उपस्थित पर्यावरण सलाहकार कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज जैसे : ग्रामसभा/सरपंच का प्रमाण–पत्र, क्रय किए गए पौधों बिल इत्यादि की जानकारी प्रस्तुत नही कर सके। अतः समिति ने चर्चाकर निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर से उक्त खदान का स्थल निरीक्षण करते हुए पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तो के संबंध का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये ।

उपरोक्त जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र क्रमांक 65 दिनांक 12/01/23 के द्वारा समिति को ई–मेल के माध्यम से एवं हार्ड कापी प्रस्तुत की गई है । प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 02/03/23 को रखा गया है । समिति ने पाया कि क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर ने स्थल का निरीक्षण दिनांक 08/1/23 को किया तथा पाया कि खदान प्रबंधन द्वारा गॉव के समीप स्थित तालाब के पूर्व व दक्षिण दिशा में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 03–04 फीट तक की ऊँचाई के 2700 पौधों का रोपण किया गया है तथा रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु 3 तरफ से तार की फेंसिंग व गेट लगाया गया है । इसी प्रकार खदान प्रबंधन द्वारा लीज के समीप स्थित निजी भूमि में लगभग 3450 पौधें विभिन्न प्रजातियों के लगभग 03–04 फीट तक की ऊँचाई के लगाये गये हैं तथा इनके भी चारों तरफ तार फेंसिंग व गेट लगाया गया है । निरीक्षण के दौरान खदान प्रबंधक द्वारा नर्सरी से क्रय किए गए पौधों की बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जो निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न है । क्षेत्रीय अधिकारी, सागर ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया है कि खदान प्रबंधन द्वारा पहाड़ीनुमा खदान क्षेत्र में तार की फेंसिंग की गई है तथा गारलेन ड्रेन बनाये गये है, जिनका सेटलिंग टैंक लीज क्षेत्र के समीप निजी भूमि पर बनाया गया है । निरीक्षण के दौरान सेटलिंग टैंक में जल भरा हुआ पाया गया, जिसका उपयोग रोपित किए गए वृक्षारोपण हेतु तथा टैंकरों के माध्यम से खदान क्षेत्र के समीप सड़क मार्ग पर डस्ट सप्रेशन हेतु किया जाता है । आवंटित खनन् क्षेत्र में साइन बोर्ड स्थापित किया गया है, मुनारों की स्थापना की गई है तथा लीज क्षेत्र के समीप शौचालय/ टॉयलेट का निर्माण कराया गया है । खदान प्रबंधन द्वारा खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले ओव्हर वर्डन को लीज क्षेत्र के समीप निजी भूमि पर भंडारित किया गया है । क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा निरीक्षण के दौरान खीचे गये फोटो व वृक्षारोपण के बिल की फोटोप्रति संलग्न की है ।

समिति ने उपरोक्त प्रवितेदन के अवलोकन तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित जानकारियां प्रस्तुत कर दी गई है किंतु लगभग निर्धारित लक्ष्य से 450 पौधो का वृक्षारोपण कम किया गया है अतः परियोजना प्रस्तावक आगामी माह में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु 450 पौधो का वृक्षारोपण करेगा इस शर्त के साथ पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन एण्ड एम–सेंड – 1,50,000 घनमीटर / वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.01.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में
1	ग्राम मुड़हरा के आंगनवाड़ी की पुताई एवं मरम्मत		30000
2	ग्राम मुड़हरा के तालाब का सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण		1,00000
	कुल	1,30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	नीम , सिस्सू, खमेर, सुबबूल एवं चिरौल, करंज	1000
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू) , करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ ।	700
3	मुड़हरा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक ।	300
4	मुड़हरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	1800
		कुल योग	3800

22. Case No 9423/2022 M/s Shreeji Infrastructure India Pvt. Ltd., Shri Himanshu Kalraiya, 1180, University Road, South civil Lines, Pchpedi, Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.710 ha. (1,50,000 Cum per year) (Khasra No. 584), Village - Bijegaon, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 584), Village - Bijegaon, Tehsil - Narayanganj, Dist. Mandla (MP) 2.71 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

इस प्रकरण में पूर्व सिया की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु कलरिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 01/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 240 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 01/11/2022 वन क्षेत्र 250 मीटर के अंदर नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 240 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये । इसी प्रकार ऑन लाईन अपलोडिउ गूगल इमेज तथा माईन प्लान अक्षांश–देशांश अनुसार इमेज में 10 से 12 मीटर का अंतर आ रहा है जिस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक को स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोटल को अपलोड कर दी गई है जिसे आज सेक की बैठक में समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु कलरिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, मण्डला के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 09/01/23 के अनुसार जॉच प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित खदान के 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नहीं है । आवेदित खदान से वन भूमि की न्यूनतम् दूरी 260 मीटर है ।

समिति ने उपरोक्त प्रवितेदन का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित जानकारियां प्रस्तुत कर दी गई है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य

प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन एण्ड एम–सेंड – 1,50,000 घनमीटर / वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
बिजेगाँव प्राथमिक शाला में 02 टॉयलेट निर्माण (पानी की व्यवस्था के साथ) बिजेगाँव प्राथमिक शाला में 01 कंप्यूटर सिस्टम	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कटंग बांस, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	170
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	1430
		कुल	3600

23. <u>Case No 9490/2022 M/s Peetambara Buildcon Pvt. Ltd., Shri Neeraj Sharma, R/o D-25, 524, Suresh Nagar, Thatipur, District Gwalior (MP), Prior Environment Clearance for Khamera Granite Quarry in an area of 1.00 ha. (4260 Cum per annum) (Khasra No. 1997/Min 2), Village - Khamera, Tehsil - Datia, Dist. Datia (MP)</u>

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1997/Min 2), Village - Khamera, Tehsil - Datia, Dist. Datia (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

625वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 मार्च 2023

आज दिनांक 23/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 559 दिनांक 26/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर दिशा मे 10 मी. की दुरी पर एंव पश्चिम दिशा मे 25 मी. पर पक्का रोड़ स्थित है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड के कारण खनन् क्षेत्र में रोड़ से 40 मीटर एंव 25 मी. तक नॉन माईनिंग जोन छोडा गया है तथा उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मीटर पर आबादी है। लीज क्षेत्र के अंदर खनन कार्य किया जाना दिख रहा है जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त खनन प्रास्पेक्टिंग के लिये किया गया था तथा प्रास्पेक्टिंग हेतु पयावरणीय अभिस्वीकृति की आवश्यकता नही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् वायर–सॉ कटिंग के माध्यम से किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–37 के सरल क्रमांक–49 पर दर्ज है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 210–215 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 559 दिनांक 26/07/2022) अनुसार वन मण्डलाधिकारी, दतिया के पत्र क्रमांक 281 दिनांक 16/01/15 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नही है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 210–215 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति को स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोटल पर अपलोड कर दी गई है तथा प्रकरण आज सेक कीं बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु कलरिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, मण्डला के पत्र क्रमांक 281 दिनांक 16/01/15 के अनुसार प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला दतिया से सेक की 614वी बैठक दिनांक 23/11/22 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में वन सीमा से दूरी के सत्यापन बावत् प्रतिवेदन चाहा जिसके संदर्भ में उन्होने पत्र क्रमांक 67 दिनांक 04/01/22 के माध्यम से सूचित किया है कि वनमंडलाधिकारी, दतिया के पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 04/3/15 अनुसार आवेदित खनन् क्षेत्र के 250 मीटर की दूरी में कोई वनक्षेत्र नही है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वनमंडलाधिकारी, दतिया द्वारा उपरोक्त पत्र के

परिपेक्ष्य में पुनः जानकारी न देने के कारण उन्होने कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला दतिया से यह जानकारी प्राप्त की जिसे मान्य किये जाने का अनुरोध है क्योकि एकल प्रमाण–पत्र सभी जानकारियों के साथ संबंधित कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा जारी किया जाता है ।

समिति ने उपरोक्त प्रवितेदन का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक वांछित जानकारियां प्रस्तुत कर दी गई है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट – 4260 मी^{3} प्रति वर्ष एवं ग्रेनाईट गिट्टी – 25,980 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि – ग्राम खमेरा,	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक स्कूल में फिसलपट्टी और झूला लगवाया जाएगा।	80,000/-
शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए 40 टेबल – चेयर दिये जाएगें।	1,00,000/-
शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षको के लिए 2 टेबल – चेयर एव प्रधानाचार्य जी कि लिए 1 टेबल–चेयर दिये जाएगें।	20,000/-
कुल रूपये	2,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**300**
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**700**

4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	1200

24. <u>Case No 9513/2022 Shri Prabhakar Nikaju, Owner, R/o Wadegaon, Tehsil-Pandhurna, District-Chhindwara (MP)-480338, Prior Environment Clearance for Badegaon Stone Quarry in an area of 2.922 ha. (18,713 Cum per annum) (Khasra No. 457), Village – Badegaon, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 457), Village – Badegaon, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP) 2.922 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व की 616वीं दिनांक 02/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभाकर निकाजू (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडसट्रीयल कंसल्टेंट, गुरूग्राम उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 715 दिनांक 07/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा एवं पश्चिम दिशा में एक–एक खदान दिख रही है साथ ही आंवटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ दिख रहा है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना दर्ज नहीं हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में सिर्फ एक ही खदान कार्यरत है, जिसका उल्लेख प्रमाण–पत्र में किया गया है तथा जो आंवटित खनन् क्षेत्र का जो भाग खुदा हुआ दिख रहा है, वह आसपास के लोगों द्वारा ऊपर की मिट्टी निकाल ली जाने के कारण है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर पत्र दिनांक 02/01/23 के माध्यम से अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को आज दिनांक 02/03/23 को समिति के समक्ष रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभाकर निकाजू (ऑनलाईन) की ओर से श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी जिला छिंदवाडा के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 30/01/23 के अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में भिन्न–भिन्न दूरियां पर उत्खनित क्षेत्र दर्शित होना पाया गया है, जिसके अवलोकन एवं जांच

निष्कर्ष दौरान पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर मेसर्स शिवदर्शन कंस्ट्रक्शन के पक्ष में खसरा कमांक 426/2,3,4 रकबा 1.730 हे. क्षेत्र पर पूर्व स्वीकृति खनिज पत्थर उत्खनिपट्टा संचालित है । दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में कमंशः लगभग 120 एवं 200 मीटर की दूरी पर खसरा नंबंर 462 एवं 452 में पूर्व का खनिज मिट्टी /मुरूम का निस्तारी क्षेत्र पाया गया है, जिसकी तथ्यात्मक जानकारी निरीक्षण दौरान प्राप्त की गई तो पाया कि क्षेत्र से आसपास के ग्रामीणों के द्वारा निस्तारी हेतु लगभग 10 से 15 वर्षो से मिट्टी/मुरूम ले जाया जा रहा है । निरीक्षण दौरान पाया गया है कि उत्खनिपट्टा क्षेत्र ऊंची/नीची टीलेनुमा पठारी क्षेत्र है, जिस पर पूर्व के छोटे–छोटे उत्खनि गड्ढे पाये गये है । जिसमें से मुरूम/मिट्टी का निक्षेत्र छोटे–छोटे स्वरूप में किया गया है जो कि पूर्व वर्षो में आसपास के ग्रामीणो के द्वारा ऊपर की मिट्टी निकाल लिये जाने के कारण है । समिति ने उपरोक्त प्रवितेदन के अवलोकन तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 18,713 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.36 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक शाला बाड़ेगांव में 25 बेंच व 10 कुर्सियों की व्यवस्था	20,000
शासकीय स्वास्थ केंद्र पांढुर्ना में 1 - ईसीजी मशीन, 2- मेडिकल बेड की व्यवस्था	55,000
कुल	75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3510 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम	1000

	ऊँचाई 01 मीटर)	एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	210
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बाड़ेगांव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100
5	ग्राम पंचायत बाड़ेगांव के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	इमली, आम, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	3510

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - j. Minable Potential of sand mine.
    - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

<u>FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.</u>

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

<u>खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–</u>

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।